

नगर परिषद, हनुमानगढ़

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

कृ- 532

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रयोग - १५/०४/२५

आवेदन नं.:

LSG/HANUMANGARH/FIRENOC/2024-25/49148

जारी दिनांक:

15-APR-2025

वैधता दिनांक:

14-APR-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: MEENU GUPTA

आवेदक का पता: NEAR PHED ABOHAR BY PASS ROAD

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन DAV CENTENARY PUBLIC SCHOOL, 0, ABOHAR BY PASS, HANUMANGARH JUNCITON, HANUMANGARH, HANUMANGARH, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तों:-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति खत: निरस्त मानी जावेगी।
2. भवन के समरत रटाफ व सिक्योरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
3. अग्निशमन उपकरण समर्थावधि में रीफिल कराना होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई वियम/उपवियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि इथिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील रिथित में रखने को बाध्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवाई जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. फायर बाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवशेष रहित रखना होगा।
10. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विरफोटक पदार्थ व अति जलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
11. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी दावर में दावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
13. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक खायं उतरदायी होगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र लफटॉप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर लफटॉप रेस्टोरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।



Signed by: Mohammed Yunas
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: HANUMANGARH, Rajasthan
Date: 15/04/2025 18:21:35

अग्निशमन अधिकारी
ममर परिषद हनुमानगढ़